भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3631

उत्तर देने की तारीख 11/08/2025

पीएम-श्री योजना के तहत चयनित स्कूल

†**3631. श्री मनोज कुमार:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कैमूर और रोहतास जैसे पिछड़े, जनजातीय और आकांक्षी जिलों में पीएम-श्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित क्षेत्रों या जनजातीय जिलों को शामिल करने के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन विद्यालयों में डिजिटल अवसंरचना की कोई व्यवस्था की है;

(ङ) प्रत्येक चरण में पूर्ण कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इस योजना के अंतर्गत कोई शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार योजनाएँ शुरू की जा रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): पीएम श्री योजना के अंतर्गत, केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी के साथ **33** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल **13,076** स्कूलों का चयन किया गया है। पिछड़े, आदिवासी और आकांक्षी जिलों सहित पीएम श्री स्कूलों का जिलावार विवरण पीएम श्री योजना की वेबसाइट **https://pmshri.education.gov.in/state** लिंक पर देखा जा सकता है। पीएम श्री योजना के प्रावधानों के अनुसार, प्रति ब्लॉक/यूएलबी में अधिकतम दो स्कूलों का चयन किया जाता है तथा पूरे भारत में स्कूलों की कुल संख्या की एक ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अलावा, बिहार के कैमूर जिले से **18** पीएम श्री स्कूलों और रोहतास जिले से **32** पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है। पीएम श्री स्कूलों के रूप में चयनित स्कूलों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी-वार संख्या अनुलग्नक-**I** में संलग्न है।

(घ) से (च): पीएम श्री योजना के अंतर्गत, पीएम श्री स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने और संज्ञानात्मक विकास तथा 21वीं सदी के प्रमुख कौशलों से

सुसज्जित समग्र एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु स्तरोन्नत किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा पांच वर्षों, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक के लिए निर्धारित है।

पीएम श्री स्कूलों को समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण के साथ आदर्श बनाने के लिए, पीएम श्री योजना में विभिन्न घटकों के साथ पीएम श्री स्कूलों को समृद्ध करने का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कंप्यूटर लैब/आईसीटी लैब/स्मार्ट क्लासरूम, उपयुक्त फर्नीचर के साथ पुस्तकालय, इंटरनेट सुविधा, व्यावसायिक कौशल शिक्षा, मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श, पूर्ण रूप से सुसज्जित एकीकृत विज्ञान लैब/भौतिकी लैब/रसायन विज्ञान लैब/जीव विज्ञान लैब, खेल सुविधाओं से सुसज्जित खेल का मैदान, स्कूल नवाचार परिषद, मिशन लाइफ के लिए युवा और इको क्लब, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए बाला विशेषताएँ और जादुई पिटारा, विद्यार्थियों के लिए 10 बैगलेस दिवस, बच्चों की उपस्थिति की निगरानी हेतु चाइल्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, पूर्णत: कार्यात्मक हाथ धोने की सुविधा और शौचालय, ग्रीन स्कूल विशेषताएँ आदि जैसे घटकों की संतृप्ति में कमियों की पहचान और प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसे वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों और उपलब्ध प्रावधान के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित किया जाता है।

इसके अलावा, पीएम श्री स्कूल शिक्षकों को डीआईईटी द्वारा योग्यता-आधारित शिक्षा, समग्र प्रगति कार्ड, स्कूल सुरक्षा, मानसिक कल्याण और आईसीटी एकीकरण में प्रशिक्षित किया जाता है, जो शैक्षणिक कार्यनीतियों, डेटा-आधारित अनुदेशात्मक योजना और कक्षा मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाता है, जिससे अंततः छात्रों के अधिगम परिणामों को प्रभावित करता है।

*****

अनुलग्नक I

माननीय संसद सदस्य श्री मनोज कुमार द्वारा "पीएम-श्री योजना के तहत चयनित स्कूल" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3631 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएम-श्री विद्यालयों के रूप में उन्नत किए गए विद्यालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी-वार विवरण इस प्रकार है:

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी	कुल संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16
2	आंध्र प्रदेश	935
3	अरुणाचल प्रदेश	93
4	असम	382
5	बिहार	836
6	चंडीगढ़	2
7	छत्तीसगढ़	341
8	दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव	7
9	दिल्ली	6
10	गोवा	28
11	गुजरात	463
12	हिमाचल प्रदेश	199
13	हरियाणा	250
14	जम्मू एवं कश्मीर	396
15	झारखंड	363
16	कर्नाटक	585
17	लद्दाख	37
18	लक्षद्वीप	11
19	मध्य प्रदेश	799
20	महाराष्ट्र	860
21	मणिपुर	121
22	मेघालय	65
23	मिज़ोरम	35
24	नगालैंड	49
25	ओडिशा	762
26	पुडुचेरी	12
27	पंजाब	356
28	राजस्थान	639
29	सिक्किम	47
30	तेलंगाना	794

31	त्रिपुरा	84
32	उत्तराखंड	241
33	उत्तर प्रदेश	1725
34	केवीएस	913
35	एनवीएस	620
36	एनसीईआरटी	4
	कुल संख्या	**13076**

*****